FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

किशन सिह बनाम भूमिधारी तहसीलदार वगै0

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट मुकदमा नम्बरः– 69/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
17.12.2018	प्रार्थी श्री किशन सिंह पुत्र स्व. रामनिवास जाति राणा निवासी तपीपल्या के द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत नाम शुद्धिकरण चाहने बाबत पेश किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को वास्ते जॉच व शुद्धि के प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रेषित किया गया। जिसकी पालना में पटवारी हल्का तपीपल्या ने अवगत कराया कि ग्राम तपीपल्या के कृषि भूमि खसरा नम्बर 144, 150/994 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 हैक्टर में रामू पुत्र काना हिस्सा 1/2 कौम राणा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। रामू पुत्र काना के पुत्र किशनसिंह द्वारा संलग्न शपथ पत्र में उल्लेखित किा गया है कि रामू का ही एक अन्य नाम रामनिवास भी है तथा काना का भी एक और नाम कन्हैयालाल है। जमाबन्दी एंव अन्य कागजात/दस्तावेज में रामू की जगह रामनिवास और काना के स्थान पर कन्हैयालाल अंकित है। अतः रामू पुत्र काना के स्थान पर रामू उर्फ रामनिवास तथा काना उर्फ कन्हैयालाल करवाना चाहते है। आसपड़ौस में लोगों से जानकारी करने पर रामू और रामनिवास तथा काना एंव कन्हैयालाल भी एक ही आदमी के नाम है। प्रार्थी ने नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का तपीपल्या की रिपोर्ट, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी सम्वत् 2072–75, 2074–2077, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र सत्यनारायण व किशनसिंह, पटवारी हल्का तपीपल्या की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रकरण स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 144, 150/994 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 हैक्टर तन् ग्राम तपीपल्या तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड में रामू पुत्र काना हिस्सा 1/2 के स्थान पर रामू उर्फ रामनिवास पुत्र काना उर्फ कन्हैयालाल एंव सत्यनारायण पुत्र काना हिस्सा 1/2 के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र काना उर्फ कन्हैयालाल दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 17.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी (सेट) श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)	9132 17-12-18

Scanned by CamScanner